

सं०-ए० 19011/3(05)/2016/स्था०-एक/256-300

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग
स्थापना-एक अनुभाग

तृतीय तल (द०), सेवा भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 14 जनवरी, 2020

-: कार्यालय आदेश :-

अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री रवि शंकर (Shri Ravi Shankar), मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली दिनांक: 31/01/2020 (अपरान्ह) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जायेंगे ।

संजय चौहान / 14.1.2020
(संजय सिंह चौहान)
अवर सचिव, स्थापना-एक

प्रतिलिपि:-

- 1- वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
- 2- जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली (अवर सचिव, प्रशा०/स्था०-एक) ।
- 3- वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव, सदस्य (डीएण्डआर)/डब्ल्यूपीएण्डपी/आरएम, के०ज०आ०, नई दिल्ली ।
- 4- सभी मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग ।
- 5- व्यक्तिगत प्रति ।
- 6- सचिव/निदेशक (प्रशासन/स्थापना)/प्रशिक्षण/पी०सी०पी०/तकनीकी प्रलेखन/तकनीकी समन्वय/ अभिकल्प एवं अनुसंधान/जल आयोजन एवं परियोजना/नदी प्रबंधन, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
- 7- वे०एवंले०/स०ले०/सभी अवर सचिव/उपनिदेशक (डब्ल्यू०पी०सी०)/पी०सी०पी०/उपनिदेशक (राजभाषा)/सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
- 8- अनुभाग अधिकारी (लेखा-एक/तीन/चार)/सीआर/बजट/स्था०-चार/स्था०-आठ/सीएमएण्डवी/ओएम/आरएण्डआ ई, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को के०ज०आ० के ओ०एम० नं० F.No. 12/94/2012-O&M/1574 dated 07.11.2016 के संदर्भ में । उनसे अनुरोध है कि वे के०ज०आ० की वेबसाइट पर उपलब्ध किये गये 'अनादायगी प्रमाण पत्र' पर संबंधित अधिकारी के पक्ष में भर कर स्थापना-एक अनुभाग, के०ज०आ० को 10 दिनों के अंदर भेज देने का कष्ट करें अन्यथा यह मान लिया जायगा कि संबंधित अधिकारी पर किसी प्रकार के कोई भी बकाया शेष नहीं है ।
- 9- सेवा पुस्तिका में प्रविष्टी हेतु ।
- 10- स्था०-एक, के०ज०आ० की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु ।
- 11- कार्यालय आदेश फोल्डर ।

*मुखर्जी-